

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरमेल सिंह बनाम दर्शन सिंह आदि


किस्म मुकदमा 53, 88, 92 आरटीए नम्बर41..... सन् 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
4-2018	वादी गुरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एक बी ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 आरटीए पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक9.7.2018.....को पेश हो।
9-7/18	वकील फरीकित उपस्थित श्री मान PO साहब अवकाश पर है पत्रावली दिनांक 23-7-18 को पेश हो <u>Kamal</u>
23-7/18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली तलबी इन्तजार में दिनांक 25-7-18 को पेश हो
25-7/18	वकील फरीकित उपस्थित श्री मान PO साहब अवकाश पर है पत्रावली दिनांक 25-7-18 को पेश हो <u>Kamal</u>
27-7/18	वकील फरीकित उपस्थित श्री मान PO साहब अवकाश पर है पत्रावली दिनांक 27-7-18 को पेश हो <u>Kamal</u>
1-8/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी गुरमेल सिंह स्वयं उपस्थित। वादी वकील द्वारा उक्त प्रकरण में भागभी जोड़े कार्यवाही नहीं चाहता है वाद पत्र को Not Press किया। स्वयं गुरमेल सिंह द्वारा इन्तजार किये गये फिरकी वादी के अधिवक्ता द्वारा पहचान भी गई। वाद पत्र को Not Press के आधार

Not Press
by
11/8/18
गुरमेल सिंह
guy
मनजीत सिंह



दस्तावेज पर भेद किया जाता है।
पशावली निकाल्युं सुभान होकर
गम्वर से कम है।


अपत्याड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकल्याणपुर (अजमेर)

3105 F.P

आकलन द्वारा ही मात्र निकाली गई है।
किसी भी भी 31. 4. 28 तक ही निकाला है।

किसी भी भी 31. 4. 28 तक ही निकाला है।
किसी भी भी 31. 4. 28 तक ही निकाला है।

किसी भी भी 31. 4. 28 तक ही निकाला है।
किसी भी भी 31. 4. 28 तक ही निकाला है।